राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंड पीठ विशेष अपील (रिट) संख्या 295/2023

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका क्रमांक 2229/2016

श्रीमती सरोज अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय श्री अमित चौधरी, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी 123, सेक्टर 3, राजीव नगर, विद्याधर नगर, जयपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार को, प्रमुख सचिव, पी.एच.ई.डी., सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन) पी.एच.ई.डी., राजस्थान जल भवन, सिविल लाइन्स, जयपुर।
3. कार्यपालक अभियंता (सतर्कता), पी.एच.ई.डी. मालपुरा संभाग, मालपुरा, जिला-टोंक।

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से	:	श्री सी.पी. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री अनिल मेहता, एडिशनल जनरल एडवोकेट
		श्री प्रवाल मिश्रा, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदत्त

माननीय न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति शुभा मेहता

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>31/08/2023</u>

पक्षों की सहमति से इस अपील पर अंतिम सुनवाई की गई।

चूँकि हम इस अपील को एक संक्षिप्त आधार पर निपटाने के इच्छुक हैं, इसलिए हम रिट याचिका दायर करने के तथ्यों और विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश का विवरण

देना अनावश्यक मानते हैं।

सर्वप्रमुख तथ्य यह है कि आपराधिक मामला सिद्ध होने पर अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया था। आपराधिक कार्यवाही अंततः दोषसिद्धि में परिणत हुई। इससे सेवाएं समाप्त हो गईं। अपीलार्थी ने आपराधिक अपील दायर की जिसमें वह सफल रही और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया और उसे बरी कर दिया गया। इसने अपीलार्थी को सेवा में बहाल करने की आवश्यकता को जन्म दिया क्योंकि बर्खास्तगी का एकमात्र आधार एक आपराधिक मामला था न कि विभागीय जांच। हालाँकि, अपीलार्थी को बहाल कर दिया गया था, लेकिन निलंबन की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया कि 28.12.2007 से 08.05.2015 तक की अवधि के लिए, अर्थात वह अवधि जिसके दौरान अपीलार्थी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप समाप्ति के कारण रोजगार से बाहर रही अपीलार्थी किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगी। इस समय, अपीलार्थी ने 23.06.2015 के आदेश के उस हिस्से को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की।

विद्वान एकलपीठ के समक्ष, अपीलार्थी ने, विभिन्न आधारों के अलावा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुचितता के आधार पर भी निर्णय को चुनौती दी कि सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया था। हालाँकि, विद्वान एकलपीठ का विचार था कि वर्तमान मामले में, चूँकि यह सम्मानजनक बरी होने का मामला नहीं था, अपीलार्थी किसी भी राहत की हकदार नहीं थी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलील यह है कि निलंबन की अवधि को ध्यान में रखते हुए पारित आदेश के परिणामस्वरूप नागरिक परिणाम होंगे और इसलिए, जैसा कि **राजस्थान राज्य और अन्य बनाम मंगत लाल सिडाना 2022 (5) स्केल 502 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था,** सुनवाई का अवसर आवश्यक है। उनका कहना था कि इन परिस्थितियों में रिट याचिका में दिए गए आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

विद्वान अपर महाधिवक्ता का कहना था कि विद्वान एकलपीठ ने **रणछोड़जी चतुरजी ठाकोर बनाम अधीक्षक अभियंता, गुजरात बिजली बोर्ड, एआईआर 1997 एससी 1802, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जयपाल सिंह, एआईआर 2004 एससी 1005 और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर बनाम राधे लाल, 2007 (1) एससीटी 446 (डी.बी. सिविल स्पेशल (डब्ल्यू) नंबर 553/2004)** के मामलों में उच्चतम न्यायलय के निर्णय में तय कानूनी

स्थिति के आधार पर विचार किया है। इसलिए, उन्होंने कहा कि यह पहले से ही निष्कर्ष का मामला है और केवल इसलिए कि सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, अपीलार्थी किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि सुनवाई का अवसर न देने से निर्णय लेने की प्रक्रिया ख़राब हो गई और अंतिम निर्णय दिनांक 23.06.2015 को आक्षेपित आदेश जारी करने के रूप में परिणत हुआ।

राजस्थान राज्य और अन्य बनाम मंगत लाल सिडाना (सुप्रा.) के मामले में, राजस्थान सेवा नियम, 1951 (इसके बाद "1951 के नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 54 के तहत विचार की गई शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में, उच्चतम न्यायलय ने आधिकारिक तौर पर ऐसे मामलों में लागू कानूनी स्थिति को निम्नानुसार स्पष्ट किया:-

> "(12) मामले का दूसरा पहलू प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के बारे में है। कोई भी आदेश पारित करने से पहले कर्मचारी को एक अवसर दिया जाना चाहिए। मामला अब रेस इंटीग्रा का नहीं रह गया है. [एम. गोपालकृष्ण नायडू बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1968 एससी 240 देखें]। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि नियम 54 के तहत भी स्थिति वही है। प्रकृति न्याय के सिद्धांतों का पालन उस कर्मचारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका जीवन दांव पर होगा, क्योंकि यदि उसकी बात सुनी जाती है तो उसे सक्षम प्राधिकारी को यह समझाने का अवसर मिलेगा कि उसका मामला नियम 54(2) के अंतर्गत आएगा और न की 54(3) के अंतर्गत। अवसर न देने के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस मामले में निष्कर्ष यह है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया। इस आधार पर, प्रत्यार्थी निर्णय का समर्थन करेंगे।
>
> (13) अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, अपनाया जाने वाला रास्ता इसे सक्षम प्राधिकारी को वापस भेजना होगा ताकि सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर सके कि प्रत्यार्थी अधिकारियों के समक्ष

उपस्थित हों और फिर मामले का निर्णय हो जाता है। वास्तव में, हम पाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा अंततः एम. गोपालकृष्ण नायडू (सुप्रा.) में अपनाई गई प्रक्रिया में कर्मचारी को सुनने के बाद आदेश पारित करने के लिए मामले को सक्षम प्राधिकारी को वापस भेजना था। लेकिन फिर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रतिवादी 76 वर्ष का है और इस स्तर पर, मामले को वापस भेजना अत्यधिक असमान होगा। इस मामले में, हम देखते हैं, कि याचिका को स्वीकार करते समय, इस न्यायालय ने 50 प्रतिशत बकाया भुगतान के अधीन स्थगन आदेश पारित किया था।

(14) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

दोनों मामलों में प्रत्यर्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही ऐसी स्थिति में नहीं पहुंची है जहां यह कहा जा सके कि उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया गया है। इससे उनका मामला नियमावली के नियम 54(2) की चारदीवारी से बाहर हो जाएगा। उनका निलंबन अनुचित निलंबन की श्रेणी में नहीं आएगा। यह अनिवार्य रूप से और आवश्यक रूप से उनके मामलों को नियम 54(3) के दायरे में लाएगा। इसका मतलब यह होगा कि भुगतान की जाने वाली वेतन और भत्तों की सटीक राशि, पूर्ण वेतन और भत्तों से कम होगी। हालाँकि, यह कर्मचारी को नोटिस देने के बाद ही किया जा सकता है। माना जाता है कि इस संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा विफलता हुई है। लेकिन, साथ ही, हमारे विचार में इस उद्देश्य के लिए इसे वापस भेजना असमान होगा। इसलिए हम यह निर्देश देकर मध्य मार्ग अपनाएंगे कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रत्यर्थियों को उनके वेतन और भत्तों का 50 प्रतिशत निर्धारित वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाए जो उन्होंने अपनी अनुपस्थिति की अवधि के लिए लिया होगा। तदनुसार, अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। हम निर्देश देते हैं कि दोनों मामलों में प्रत्यर्थियों को उस राशि का 50 प्रतिशत वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जिसके वे संबंधित अवधि के लिए हकदार होंगे।

उपरोक्तानुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।"

निलंबन की अवधि के दौरान क्या दिया जाना आवश्यक है, यह प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि नियम और तथ्यों के आधार पर कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला है। 1951 के नियमों के नियम 54 में निहित प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर किसी अन्य निष्कर्ष को स्वीकार किए बिना एक ही निष्कर्ष पर ले जाए। इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुप्रयोग का अपवाद होने के कारण, इसे पूर्व निष्कर्ष का मामला नहीं कहा जा सकता है। हम नहीं जानते कि क्या अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने पर सक्षम प्राधिकारी ने कोई अलग निष्कर्ष निकाला होगा। हालाँकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी को उस लंबी अवधि के संबंध में वेतन की पूरी या आंशिक राशि के भुगतान के संबंध में प्राधिकारी को समझाने के लिए सुनवाई के अवसर से वंचित कर दिया गया था, जिसके दौरान वह रोजगार से बाहर रही अर्थात 28.12.2007 से 08.05.2015 तक। इसलिए, केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर, रिट याचिका में दिए गए आदेश को रद्द किया जा सकता है।

हम पाते हैं कि यद्यपि विद्वान एकलपीठ के समक्ष मामला उठाया गया था। किन्तु विद्वान एकलपीठ ने इस पहलू पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है।

उपरोक्त विचार के मद्देनजर, हम अपील की अनुमति देने और विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के इच्छुक हैं। एकलपीठ ने भी दिनांक 23.06.2015 के आदेश को केवल बकाया वेतन से इनकार करने की सीमा तक लागू किया। सक्षम प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देगा और उसके बाद, 1951 के नियमों के नियम 54 के तहत कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा। हमें यह कहने में जल्दबाजी करनी चाहिए कि हमने इसके गुणों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ण/आंशिक वेतन के दावे का संबंध है प्राधिकारी के लिए यह खुला होगा कि वह सोच-विचार करके और निश्चित रूप से सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले में निर्णय ले।

अपील तदनुसार ऊपर बताए गए तरीके और सीमा तक स्वीकार की जाती है।

(शुभा मेहता), न्यायमूर्ति (मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), न्यायमूर्ति

Karav/92

अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।